न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/ 1817 दिनांक 27.9.18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 प्रभुसिंह 2 चन्दनसिंह 3 तारसिंह पिसरान जालूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी लगेरा, आटी तहसील व जिला बाड़मेर।		1 रामसिंह 2 वीरसिंह 3 पोकरसिंह पिसरान मानसिंह 4 कमलसिंह 5 बाबुसिंह पिसरान मूलसिंह जाति राजपुरोहित 6 उम्मेदाराम पुत्र मगनाराम 7 करकनाराम पुत्र वीरजाराम जाति रबारी निवासी लगेरा, आटी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनाक–20.09.2018

राजस्व आवेदन संख्या :–589/2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लंगेरा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 447/11 रकबा 43.14 बीघा, खसरा संख्या 452/20 रकबा 13.19 बीघा, खसरा संख्या 487/39 रकबा 04.04 बीघा व खसरा संख्या 612/196 रकबा 27.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पाच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2018/ 1818 – 1821 दिनांक– 27.9.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रभूसिंह पुत्र जालूसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी लंगेरा, आटी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी रामसिंह पुत्र मानसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी लंगेरा, आटी तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner